न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./1932/2005/भरतपुर

1– कालीचरण पुत्र जमुना प्रसाद सैनी (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1. गोपाल सैनी पुत्र स्व0 श्री कालीचरण
1/2. नवीन पुत्र स्व0 श्री कालीचरण
1/3. ऊषा पुत्री स्व0 श्री कालीचरण
1/4. आशा पुत्री स्व0 श्री कालीचरण
1/5. रेखा पुत्री स्व0 श्री कालीचरण
1/6. रेणु पुत्री स्व0 श्री कालीचरण
समस्त जाति माली निवासी डीग तहसील व जिला डीग।

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

1– खूबीराम पुत्र जमुना प्रसाद (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1. गुलाब पुत्र खूबीराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1/1. पंकज पुत्र गुलाब
1/1/2. रवि पुत्र गुलाब
1/2. महेश पुत्र खूबीराम
1/3. मिथलेश पुत्री खूबीराम
1/4. विमलेश पुत्री खूबीराम
2– मुन्नालाल पुत्र जमुना प्रसाद
3– जगदीश पुत्र जमुना प्रसाद (मृतक) जरिये वारिसानः–
3/1. देवकी नन्दन पुत्र जगदीश
3/2. कैलाश पुत्र जगदीश
3/3. नीरज पुत्री जगदीश
समस्त जाति माली निवासी डीग तहसील व जिला डीग।
4– दर्शन सिंह पुत्र मोहन सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
4/1. कान्ता देवी बेवा दर्शन सिंह
4/2. दिगम्बर पाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह
4/3. नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह
4/4. संजय पाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह
समस्त जाति ठाकुर निवासी डीग तहसील व जिला डीग।
5– राजस्थान सरकार
6– रघुवीर सिंह पुत्र वासुदेव जाति माली निवासी कामां जिला डीग।

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थितः–
श्री बी.एस.राठौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री सोहनपाल सिंह व श्री उमेश कुमार, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण

-निर्णय-

दिनांकः- 29-7-2005

1- यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-04-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2- अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने तहसीलदार डीग को प्रतिवादी बनाते हुए एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि श्री मंगल पुत्र डल्ले उर्फ वीछनीयां की खातेदारी भूमि थी, जिनकी मृत्यु वर्ष 1956 होने पर उनकी पत्नी समैकौर जो कि अपीलार्थी वादी की नानी लगती थी, ने वादी कालीचरण को दिनांक 01-9-1956 को गोद ले लिया था। वादी की नानी की मृत्यु सन् 1957 में हो गई। इस प्रकार वादी का अपने नाना व नानी की भूमि पर विधिवत स्वामित्व होकर वह इस पर काबिज काश्त है, अतः अपीलार्थी वादी कालीचरण को मंगल के नाम दर्ज भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24-9-1970 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12-4-2005 द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलार्थी वादी को 1/4 हिस्सा व तीनों प्रत्यर्थीगण प्रत्येक को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी वादी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- मण्डल न्यायालय में प्रार्थी श्री रघुवीर सिंह पुत्र वासुदेव द्वारा दिनांक 19-8-2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 तथा आदेश 22 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 3175, 3197, 3199 तथा 3206 को अपीलार्थी कालीचरण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रार्थी को बेचान कर देने तथा विक्रय अनुसार प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1866 दिनांक 02-7-2010 को स्वीकृत होकर प्रार्थी जमाबंदी में खातेदार दर्ज हो जाने से वह भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना जाहिर कर उसे पक्षकार बनाने का आवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई करते हुये आवेदन स्वीकार कर रघुवीर सिंह को भी प्रत्यर्थी संख्या 6 बना लिया गया।

4- उभय पक्ष की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

5- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24-9-1970 द्वारा वादी अपीलार्थी डिक्री करने पर प्रत्यर्थीगण ने अपीलीय

न्यायालय के समक्ष 27 वर्ष मियाद बाहर अपील पेश करने पर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा इतनी लम्बी मियाद बाहर अपील को गलत तरीके से अन्दर मियाद शुमार किया है। प्रत्यथीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 96 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया था जिसमें उन्होंने स्वयं को सोमोती पुत्री मृतक मंगल के पुत्र होने का दावा किया है, जबकि उन्होंने मृतक मंगल की शेष पुत्रियों को अपीलीय न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए अपीलीय न्यायालय ने धारा 96 सीपीसी के तहत आवेदन को गलत तरीके से स्वीकार कर अपील स्वीकार की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को अनदेखा कर मंगल की शेष पुत्रियों को उनके अधिकार से वंचित कर प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णय किया है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा अपीलार्थी वादी के पक्ष में विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा जमींदारी एवं बिस्वेदारी अधिनियम के लागू होने के समय से काबिज होने के कारण डिक्री किया था, लेकिन अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रत्यर्थीगण की अपील को विधिविरूद्ध स्वीकार कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट को धारा 15 व धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। अपीलार्थी वादी ने विचारण न्यायालय में उसका मंगल का दत्तक पुत्र होना साबित किया है। नामान्तकरण संख्या 1452 दिनांक 18-4-1973 में भी मृतक मंगल का दत्तक पुत्र कालीचरण दर्ज है, इसलिये अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को दत्तक पुत्र नहीं मानने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलार्थी ने अपनी भूमि दर्शन सिंह पुत्र मोहन सिंह को दिनांक 18-9-1998 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान कर दी है तथा क्रेता दर्शन सिंह का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2055-2058 में दर्ज है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष दर्शन सिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से भी अपील निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को तथ्यपरक आधार पर सही होना स्वीकार किया गया था परंतु अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त करने में विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अतः हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6- उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने अभिकथन किया कि विवादित आराजी मृतक मंगल की खातेदारी भूमि थी जिनकी मृत्यु वर्ष 1956 होने पर उनकी पत्नी द्वारा अपीलार्थी कालीचरण को कभी गोद नहीं लिया और ना ही किसी प्रकार का गोदनामा ही तहरीर किया। अपीलार्थी द्वारा तथाकथित गोदनामा किसी न्यायालय से प्रमाणित भी नहीं कराया है। अपीलार्थी ने अपने आपको दत्तक पुत्र बताकर गलत तरीके से वाद डिक्री करवा लिया गया जबकि मृतक मंगल की सोमोती, भोती, चुनिया, सोडी, गुलकन्दी, भगवती सभी पुत्रियां भी थी जिन्हें अपीलार्थी ने अपने दावे में पार्टी न बना कर अकेले तहसीलदार को प्रतिवादी बना कर सिर्फ 10 दिन में ही बिना साक्ष्य विधिविरूद्ध रूप से दावा डिक्री करवा लिया। विचारण न्यायालय में न तो

सरकार को सुना गया और न ही विवाद्यक कायम किये गये। वादपत्र के तथ्य साक्ष्यों से कतई साबित नहीं थे। मंगल की पुत्रियों में से सोमोती उसके पास रहती थी, अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 सौमोती के पुत्र होकर आपस में भाई हैं, इसलिये जो अधिकार कालीचरण का बनता था प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 भी उसी अधिकार अनुसार भूमि में स्वमित्व घोषित करवाने के अधिकारी हैं। वादी ने दावे में कोई साक्ष्य पेश नहीं की थी, फिर भी इसे डिक्री कर दिया गया। अपीलार्थी वादी द्वारा प्रत्यर्थीगण को वाद में पक्षकार नहीं बनाने से निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रत्यर्थीगण को नहीं हो सकी इसलिए जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश की गयी। अपीलीय न्यायालय ने एकतरफा डिक्री प्राप्त किया जाना मानते हुए अपील अंदर मियाद शुमार करते हुए विधिवत अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को 1/4 हिस्सा व प्रत्यथ्री संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को गलत स्वीकार किया गया जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार, विधिक या तथ्यपरक आधार पर ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिससे द्वितीय अपील के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। प्रत्यर्थी संख्या 4 व 6 के अधिवक्तागण ने बहस में अभिकथन किया कि कालीचरण ने उन्हें जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि पूर्व में ही विक्रय कर दी गई जिसके आधार पर क्रेतागण भूमि के खातेदार दर्ज हो चुके हैं। वे भूमि के सद्भावी क्रेता होकर क्रय शुदा भूमि पर काबिज हैं। अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। हस्तगत अपील में उनके अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये निर्णय किया जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों व दोनों निर्णयों का गहनता से अद्योपांत अवलोकन किया गया।

8– प्रकरण की तथ्यगत स्थिति अनुसार अपीलार्थी कालीचरण तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 सगे भाई होकर सोमोती के पुत्र हैं। विचारण न्यायालय में वादी का दावा मुख्यतः उसका मंगल का दत्तक पुत्र होने के क्लेम पर ही आधारित है। सोमोती मंगल की पुत्री होकर मंगल की मोती, चुनिया, सोडी, गुलकंदी व भगवती नाम की ओर पुत्रियां भी थी। दोनों पक्ष इस तथ्यपरक स्थिति को स्वीकार भी करते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की आपत्ति है कि अपीलार्थी वादी कालीचरण ने बिना सोमोती के अन्य पुत्रों तथा मंगल की पुत्रियों को पक्षकार बनाये स्वयं को गलत रूप से मंगल का दत्तक पुत्र होना बताकर दावा कर डिक्री प्राप्त कर ली, जबकि अपीलार्थी की आपत्ति है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने अपील में मंगल की अन्य पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया जिससे अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध है। इस वस्तुस्थिति में स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के सुस्थापित प्रावधान से परे जाकर बिना पुष्ठ एवं कानूनी आधार मंगल की भूमि में उसकी एक पुत्री के पुत्र/पुत्रों

के पक्ष में ही अधिकार अभिनिर्धारित कर दिये हैं। हमारा सुविचारित मत है कि मंगल की अन्य पुत्रियां भी अपने पिता की भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी होने से उन्हें भी दावे में पक्षकार बनाकर बाद साक्ष्य सुनवाई पुनः निर्णय किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी संख्या 4 व 6 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि खरीद की गई है तथा वे क्रय शुदा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हो गये हैं। विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सम्भवतः कतिपय अन्य व्यक्तियों का भी पूर्व में भूमि में हिस्सा खरीद के आधार पर रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है, अतः रिकॉर्ड अनुसार सभी संबंधितों को भी दावे में पक्षकार बना कर बाद सुनवाई न्यायसम्मत निर्णय किया जाना चाहिए। अतः हमारे मतानुसार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय स्थापित रखने योग्य न होकर प्रकरण प्रतिप्रेषण योग्य है।

9– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप की जाकर हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर तथा उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 12–4–2005 तथा दिनांक 24–09–1970 अपास्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग को निर्णय के पैरा संख्या 8 के विवेचन अनुसार सभी संबंधितों को दावे में पक्षकार बनाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष